

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी:- सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 10/2021

जीसीएमएस नम्बर :- 2021/97

1. चांदकौर पुत्री बल्लाराम पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

\_\_\_\_\_वादीया

बनाम

1. माईचन्द पुत्र बल्लाराम
2. शैतान पुत्र बल्लाराम
3. नरेश पुत्र बुद्धराम
4. राजेश पुत्र बुद्धराम
5. मणी देवी पत्नी बुद्धराम समस्त जाति जाट निवासी ढाणी हुक्मा तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
6. मिश्री निमकौर पत्नी गोकल पुत्री बल्लाराम जाति जाट निवासी नांगलीया तहसली खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
7. कमल पुत्र शेर सिंह जाति जाट निवासी ढाणी हुक्मा तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
8. पूनम पुत्री शेरसिंह
9. सुनिता पुत्री शेरसिंह
10. मोहीनी देवी पत्नी शेरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी हुक्मा तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
11. धनकौरी पुत्री श्योचन्द
12. निहाली पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी ढाणी हुक्मा तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
13. रणसिंह पुत्र श्योचन्द
14. राजेश पुत्र श्योचन्द
15. विनोद पुत्र श्योचन्द
16. सुभाष पुत्र श्योचन्द
17. शान्ति पत्नी श्योचन्द
18. मालड़ी पत्नी चन्दगीराम
19. रामनिवास पुत्र चन्दगीराम
20. रोहिताश्व पुत्र चन्दगीराम



  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुंझुनूं (राज.)

21. विजेन्द्र पुत्र चन्दगीराम
22. श्रवण पुत्र चन्दगीराम
23. ख्यालीराम पुत्र देवकरण
24. हवासिंह पुत्र देवकरण समस्त जाति जाट निवासी ढाणी हुक्मा तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
25. बनारसी पुत्री देवकरण
26. मणी पुत्री देवकरण समस्त जाति जाट निवासी ढाणी हुक्मा तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
27. मुनेश पुत्री देवकरण
28. सज्जना पुत्री देवकरण
29. सन्तोष पुत्री देवकरण समस्त जाति जाट निवासी ढाणी हुक्मा तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
30. रजवण पत्नी देवकरण जाति जाट निवासी ढाणी हुक्मा तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
31. केला पुत्री चन्दगी जाति जाट निवासी ढाणी हुक्मा तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
32. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सिंघाना
33. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुंनू

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत:- खाता विभाजन, घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

—:निर्णय:—

दिनांक :- 21/5/25

(1). वादी ने वाद-पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि-

यह कि वाके ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना स्थित खाता स0 184 के हाल ख0 न0 193 रकबा 0.98 है0 ख0 न0 194 रकबा 0.99 है0 ख0 न0 196 रकबा 0.98 है0 ख0 न0 303 रकबा 0.76 है0 ख0 न0 304 रकबा 0.91 है0 ख0 न0 341 रकबा 0.96 है0 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 5.58 है0 मे वादीया को  $1/20$  के स्थान पर  $1/20 + 1/100$  कुल  $3/50$  हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

(2). कि वाके ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना स्थित खाता स0 182 के हाल ख0 न0 21 रकबा 0.56 है0 ख0 न0 23 रकबा 0.92 है0 ख0 न0 254 रकबा 0.13 है0 ख0 न0 255 रकबा 0.16 है0 ख0 न0 64 रकबा 0.94 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 2.71 है0 मे वादीया को  $1/80 + 1/400$  कुल  $3/600$  हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुंझुंनू (राज.)

- (3). कि वाके ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना स्थित खाता स० 183 के हाल ख० न० 268 रकबा 0.55 है० ख० न० 269 रकबा 0.55 है० ख० न० 619/303 रकबा 0.43 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 है० में वादीया को 1/20 के बजाय 1/20 + 1/100 कुल 3/50 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।
- (4). कि विवादित भूमि में वादीया के हिस्से की भूमि का खाता विभाजन किया जाकर अलहदा लगान कायम किया जाकर अलहदा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।
- (5). कि प्रति० स० 1 ल० 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीया के हिस्से की भूमि के कब्जे कास्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना करे ऐसा ना स्वयं करे व नाही अपने मित्रों, रिश्तेदारों व अनुचरो आदि से करावें।
- (6). कि वाद पत्र के खण्ड स० 3 में वर्णित भूमि में वादीया के पिता का नाम बाला के स्थान पर बल्लाराम दुरुस्त किया जावें।
- (7). कि अन्य अनुतोष जो अयाचित रह गया हो जिसे माननीय न्यायालय हाजा उचित समझे वादीया को दिलवाया जावे।


दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 11.01.2022 को लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 450 दिनांक 08.12.2022 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 180 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया। किसी ने ऐतराज पेश नहीं किया है।

बहस के अनुसार, शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुरें प्राप्त पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075-2078 वाके ग्राम ढाणी हुक्मा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 184, 182, 183, में वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला मन्सून (राज.)


- आदेश -

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम दाणी हुक्मा तहसील बुहाना स्थित खाता स० 184 के हाल ख० न० 193 रकबा 0.98 है० ख० न० 194 रकबा 0.99 है० ख० न० 196 रकबा 0.98 है० ख० न० 303 रकबा 0.76 है० ख० न० 304 रकबा 0.91 है० ख० न० 341 रकबा 0.96 है० कुल किता 6 कुल रकबा 5.58 है० व खाता स० 182 के हाल ख० न० 21 रकबा 0.56 है० ख० न० 23 रकबा 0.92 है० ख० न० 254 रकबा 0.13 है० ख० न० 255 रकबा 0.16 है० ख० न० 64 रकबा 0.94 है० कुल किता 5 कुल रकबा 2.71 है० एवं खाता स० 183 के हाल ख० न० 268 रकबा 0.55 है० ख० न० 269 रकबा 0.55 है० ख० न० 619/303 रकबा 0.43 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 है० भूमि में वादीया का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-14" व नक्शा प्रदर्श "ब लगायत ब-2" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-14" व नक्शा प्रदर्श "ब लगायत ब-2" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-14" व नक्शा प्रदर्श "ब लगायत ब-2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

  
उपसुनमाधिकारी मुद्रमा  
उपसुनमा अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक-21.5.2025-को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

  
(सुमन कुमार)  
उपसुनमा अधिकारी मुद्रमा  
उपसुनमा अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्डुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी-

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:-10/2021

जीसीएमएस वाद संख्या : 2021/97

चांदकौर बनाम माईचन्द आदि

दावा खाता विभाजन, घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री विजयपाल एडवोकेट की उपस्थिति में व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को श्री सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि -

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम दाम्पी हुक्मा तहसील बुहाना स्थित खाता स० 184 के हाल ख० न० 193 रकबा 0.98 है० ख० न० 194 रकबा 0.99 है० ख० न० 196 रकबा 0.98 है० ख० न० 303 रकबा 0.76 है० ख० न० 304 रकबा 0.91 है० ख० न० 341 रकबा 0.96 है० कुल कित्ता 6 कुल रकबा 5.58 है० व खाता स० 182 के हाल ख० न० 21 रकबा 0.56 है० ख० न० 23 रकबा 0.92 है० ख० न० 254 रकबा 0.13 है० ख० न० 255 रकबा 0.16 है० ख० न० 64 रकबा 0.94 है० कुल कित्ता 5 कुल रकबा 2.71 है० एवं खाता स० 183 के हाल ख० न० 268 रकबा 0.55 है० ख० न० 269 रकबा 0.55 है० ख० न० 619/303 रकबा 0.43 है० कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.53 है० भूमि में वादीया का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-14" व नक्शा प्रदर्श "ब लगायत ब-2" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-14" व नक्शा प्रदर्श "ब लगायत ब-2" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-14" व नक्शा प्रदर्श "ब लगायत ब-2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुन्डुनू (राज.)

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख .....21.5.2025.....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सुमन देवी 11)

~~उपखण्ड अधिकारी बुहाना~~  
उपखण्ड अधिकारी एवं

~~जिला मजिस्ट्रेट (राज.)~~

पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना